न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—316/2014/223 (2014/00087)

1. श्रीमती दाखा पत्नी पांचू, जाति जाट, (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1— सांवरा पुत्र पांचू, जाति जाट, स्वर्गवास,
1/2— उमराव पुत्र पांचू, जाति जाट,
1/3— श्रीमती सायरी पुत्री पांचू, जाति जाट,
1/4— श्रीमती छोटी पुत्री पांचू, जाति जाट,
1/5— श्रीमती शांति पुत्री पांचू, जाति जाट,

2. सांवरा पुत्र पांचू, जाति जाट, (मृतक) जरिये वारिसानः—
2/1— श्रीमती गीता पत्नी स्व0 सांवरा,
2/2— अर्जुन पुत्र स्व0 सांवरा,
2/3— विनोद पुत्र स्व0 सांवरा,
2/4— दिनेश पुत्र स्व0 सांवरा,
2/5— कंचन पुत्री स्व0 सांवरा,
समस्त निवासी ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कालू पुत्र काना, जाति जाट,
2. रामा पुत्र काना, जाति जाट,
3. मांगू पुत्र काना, जाति जाट,
नि0 ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. कूका पुत्री काना पत्नी छोटू, जाति जाट, निवासी बुबानिया, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. संतू पुत्री काना पत्नी गोपाल, जाति जाट, नि0 ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. दाखा पुत्री जोरा, जाति जाट, निवासी ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
7. नन्दा पति श्रीमती गांधी पुत्री सूजा, जाति जाट, निवासी घोसियों की गली नसीराबाद, जिला अजमेर ।
8. अशोक पुत्र श्रीमती गांधी दोहिता सूजा, जाति जाट, निवासी घोसियों की गली, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
9. उमराव पुत्र पांचू, जाति जाट, नि0 ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
10. सायरी पुत्री पांचू पत्नी देवकरण, जाति जाट,
11. छोटी पुत्री पांचू पत्नी शिवराज, जाति जाट,
12. श्रीमती शांति पुत्री पांचू पत्नि कल्याण, जाति जाट,
समस्त निवासीगण ग्राम लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
13. श्रीमती गीता पत्नि गोपाल, जाति जाट,
14. शिवराज पुत्र गोपाल, जाति जाट,
15. हंसराज पुत्र गोपाल, जाति जाट,
16. सुखपाल पुत्री शिशुपाल पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
17. भंवरलाल पुत्र गंभीरा,
18. रिद्धकरण पुत्र गंभीरा,
19. जीवणलाल पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
20. श्योदान पुत्र गंभीरा, जाति जाट,

समस्त निवासी ग्राम चाट, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

21. उप पंजीयक, पंजीयन विभाग, नसीराबाद ।

22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 23.7.2014 अंतर्गत वाद संख्या 23/2013.

उपस्थितः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5, 7 व 8.
3. रेस्पो0 संख्या 6, 9 से 13, 15 व 17 अनुपस्थित ।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 21 व 22.

निर्णय

दिनांकः– 3.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.7.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 53, 92–ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शायी भूमि जो कि ग्राम देराठू, तहसील नसीराबाद एवं ग्राम धोलादांता (देराठू)तहसील नसीराबाद में स्थित है । उपरोक्त आराजियात चौसाला जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि के सहहिस्सेदार खातेदार जगन्नाथ पुत्र जवारा, पांचू, काना, सूजा पि0 जोरा के नाम दर्ज है । इनमें से जगन्नाथ पुत्र जवारा अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 ही है । जगन्नाथ पुत्र जवारा के द्वारा उसके जीवनकाल में कभी भी किसी को गोद नहीं लिया गया, प्रतिवादी संख्या 1 कालू भी जगन्नाथ पुत्र जवारा का दत्तक पुत्र नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 कालू को जगन्नाथ पुत्र जवारा के द्वारा उनके जीवनकाल में कभी गोद ही नहीं लिया गया इस कारण वादपत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शायी भूमि के वादपत्र में दर्शाये अनुसार वाद स्वीकार कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 को खातेदार घोषित किया जावे, बंटवारा किया जावे, स्थायी निषेधाज्ञा आज्ञाप्ति प्रसारित की जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया जिस पर अधी0न्याया0 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 को विधि के प्रतिकूल आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में दर्शायी भूमि के संदर्भ में वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश दिनांक 23.7.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष

वादपत्र में आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया जबकि आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अंतर्गत प्रतिवादी को इस प्रकार आवेदन पत्र विधि के सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुत किये जाने का अधिकार ही नहीं है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को आंशिक रूप से स्वीकार कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। वादपत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शायी भूमि के चौसाला जमाबदी के अनुसार सहिस्सेदार खातेदार जगन्नाथ पुत्र जवारा, जाति जाट एवं पांचू, काना, सूजा पि0 जोरा, जाति दर्ज है । इनमें से जगन्नाथ पुत्र जवाना जो कि अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका था एवं जगन्नाथ पुत्र जवारा के द्वारा उसके जीवनकाल में कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 कालू को गोद नहीं लिया गया । प्रतिवादी संख्या 1 कालू जगन्नाथ का दत्तक पुत्र नहीं है । इसी कारण अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण के द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शायी भूमि के संदर्भ में वादपत्र में दर्शाये अनुसार खातेदार घोषित किया जावे, बंटवारा किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पारित करने के संबंध में अनुतोष चाहा था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश के अनुसार वादपत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शायी भूमि में से खसरा नंबर 791/1043, 5521, 5693, 5812, 5815, 5820, 5821, 5822, 5824, 5826, 5877, 5695, 5695/7185, 5872, 5874, 5697, 1647 एवं 5698 की भूमि के संदर्भ में वादीगण का वाद अपीलाधीन आदेश के अनुसार निरस्त किये जाने में कानूनी त्रुटि की है क्योंकि प्रथम तो विधि के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किये जाने का कोई अधिकार ही नही है एवं अधी0न्याया0 के द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है वह विधि के प्रतिकूल है । विधि के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना चाहिये था तथा वादपत्र में विवाद बिन्दू कायम किये जाकर पक्षकारान की साक्ष्य के उपरांत ही दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में ही आदेश पारित किया जा सकता था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी विधि के प्रतिकूल अपीलधीन आदेश पारित किया गया जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश का आधार धारा 11 जा0दी0 को लेकर पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में धारा 11 जा0दी0 रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान ही लागू नहीं होते है कारण कि पूर्ववत् राजस्व वाद में कायम किये गये विवाद बिन्दू तथा वर्तमान विचाराधीन वाद जिसमें कि विवाद बिन्दू कायम ही नहीं किये गये है उस स्थिति में अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है वह विधि के प्रतिकूल है । विधि के सिद्धांत के अनुसार पूर्ववत् राजस्व वाद एवं वर्तमान राजस्व वाद में समान पक्षकार हो, समान अनुतोष चाहा गया हो, समान भूमि हो तब ही रेसज्येडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है । वर्तमान राजस्व वाद में विवाद बिन्दू कायम किये जाने पर यदि पूर्ववत् राजस्व वाद संख्या 70/2010 एवं 108/2010 में कायम किये गये विवाद बिन्दू के समान विवाद बिन्दू हो तो ही रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता परन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष वर्तमान राजस्व वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाबदावा ही प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में जो आपत्तियां उठाई है उन्हें जवाबदावे में लेने का प्रावधान है । अधी0न्याया0 ने इन सब तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने

बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि पूर्ववत् राजस्व वाद संख्या 108/2010 एवं 70/2010 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 कालू के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कालू बनाम रामा व अन्य प्रस्तुत किया गया कि इन राजस्व वादों में जो निर्णय व डिक्री पारित किये गये है के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 647/2012 एवं 648/2012 दाखा बनाम कालू व अन्य प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। इस प्रकार पूर्ववत् राजस्व वाद जो कि प्रतिवादी संख्या 1 कालू द्वारा प्रस्तुत किये गये थे इन वादों में पक्षकार भी भिन्न–भिन्न है तथा अनुतोष भी अलग है । पूर्ववत् राजस्व वाद जो कि प्रतिवादी संख्या 1 कालू के द्वारा कालू पुत्र जगन्नाथ के नाम से गलत प्रस्तुत किये गये है जबकि कालू पुत्र काना है तथा जगन्नाथ के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 कालू को कभी गोद ही नहीं लिया गया था । अधी0न्याया0 के द्वारा धारा 11 जाप्ता दीवानी के विधिक प्रावधानों से वाद को बाधित मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसंगत नहीं है । वर्तमान राजस्व वाद में धारा 11 जा0दी0 के प्रावधान लागू नहीं होते है क्योंकि पूर्ववत् वाद एवं वर्तमान वाद में पक्षकारान एवं अनुतोष भिन्न है । विधि के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान राजस्व वाद में प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत विवाद बिन्दू कायम करने के उपरांत उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वाद को आंशिक रूप से खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 के तहत आंशिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है । धारा 11 जा0दी0 के आधार पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 23.7.2014 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर पक्षकारान की सुनवाई की जाकर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के निर्देश अधी0न्याया0 को प्रदान किये जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2012 (1) पेज 82 एवं डी0एन0जे0 2019 (4) राज0 पेज 1346 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वाद में वर्णित आराजियात बाबत् अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद संख्या 108/2010 एवं 70/2010 प्रस्तुत किये गये थे जिन्हें अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 10.9.2012 को निर्णित किया जाकर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया गया है । उक्त वाद में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पक्षकार नियुक्त थे । अब पुनः इन्हीं पक्षकारों द्वारा उक्त वाद में लिप्त आराजियात खसरा नंबर 791/1043, 5521, 5693, 5812, 5815, 5820, 5821, 5822, 5824, 5826, 5877, 5695, 5695/7185, 5872, 5874, 5697, 1647, 5698 बाबत् पुनः नवीन वाद प्रस्तुत किया गया था जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत के अनुसार विधिवर्जित होने से निरस्त योग्य था। वाद संख्या 108/2010 व 70/2010 में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन है । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद आराजियात खसरा नंबर 791/1043, 5521, 5693, 5812, 5815, 5820, 5821, 5822, 5824, 5826, 5877, 5695, 5695/7185, 5872, 5874, 5697, 1647, 5698 बाबत् वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हस्तगत अपील अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा जगन्नाथ पुत्र जवारा के लाऔलाद फौत होने से उसकी भूमियां जगन्नाथ के सगे भाई जोरा के वारिसान सूजा, काना व पांचू के नाम विरासत नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 20.2.1966 के परिपेक्ष्य में सूजा, पांचू व काना के वारिसान के नाम खातेदारी घोषित करने के संबंध में वाद प्रस्तुत किया था । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त वाद को पूर्व में निर्णित वाद संख्या 70/2010 एवं 108/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी कालू को जगन्नाथ का दत्तक पुत्र मानने के कारण कालू के वाद में लिप्त आराजियात बाबत् वाद स्वीकार किये जाने से वादी/अपीलांट का वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 आंशिक रूप से स्वीकार कर खारिज किया गया है । वाद संख्या 70/2010 एवं 108/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा अपील संख्या 648/2012 एवं 640/2012 में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है । उक्त दोनों वादों के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीले न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.12.2020 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये गये है कि वाद संख्या 70/2010 एवं 108/2010 को सम्मिलित कर गोद के बिन्दू पर पक्षकारों की साक्ष्य ली जाकर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजियात, पक्षकारान समान होने तथा गोद बिन्दू निहित होने से हम हस्तगत अपील में लिप्त आराजियात बाबत् भी गोद के बिन्दू पर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर वाद का परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 23/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.7.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशां के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत वाद पत्रावली को वाद संख्या 70/2010 एवं 108/2010 के साथ सम्मिलित कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर